



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245223
CG-DL-E-18042023-245223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1676]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945

No. 1676]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

का.आ. 1756(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 0.000 कि.मी. से 29.031 कि.मी. तक के भूखण्ड (कडपा से रेनिगुंटा सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलैक्टर, वाई . एंस् . आर् कडपा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और.

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 0.000 कि.मी. से 29.031 कि.मी. तक (कडपा से रेनिगुंटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सिद्धौत					
गांव का नाम: पेद्दपल्ले					
1	610/1	सरकारी	असाइन/डीकेटी	5,463.4500000(वर्ग मीटर)	0.5463450
तालुक का नाम: बोंटीमिट्टा					
गांव का नाम: मानतपमपल्ले					
1	401	निजी	ड्राय	161.8800000(वर्ग मीटर)	0.0161880
2	455/2	निजी	ड्राय	202.3500000(वर्ग मीटर)	0.0202350
3	589/2	निजी	बेट	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
4	623/1	सरकारी	हिलॉक	5,989.5600000(वर्ग मीटर)	0.5989560
5	628	सरकारी	हिलॉक	30,838.1400000(वर्ग मीटर)	3.0838140
6	629/1	सरकारी	हिलॉक	20,477.8200000(वर्ग मीटर)	2.0477820
7	630/2	सरकारी	हिलॉक	14,933.4300000(वर्ग मीटर)	1.4933430
कुल				78,147.5700	7.8148

[फा. सं. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

S.O. 1756(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 716 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 29.031 (Kadapa to Renigunta Section) in the district of Y . S . R . (Kadapa) in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Y . S . R Kadapa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 29.031 (Kadapa to Renigunta Section) of the National Highway No 716 in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH		District: Y . S . R . (Kadapa)			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sidhout					
Village: Peddapalle					
1	610/1	Government	Assigned/DKT	5,463.4500000(Square Meter)	0.5463450
Taluk: Vontimitta					
Village: Mantapampalle					
1	401	Private	Dry	161.8800000(Square Meter)	0.0161880
2	455/2	Private	Dry	202.3500000(Square Meter)	0.0202350
3	589/2	Private	Wet	80.9400000(Square Meter)	0.0080940
4	623/1	Government	Hillock	5,989.5600000(Square Meter)	0.5989560
5	628	Government	Hillock	30,838.1400000(Square Meter)	3.0838140
6	629/1	Government	Hillock	20,477.8200000(Square Meter)	2.0477820
7	630/2	Government	Hillock	14,933.4300000(Square Meter)	1.4933430

[F. No. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.